भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2999** जिसका उत्तर

गुरूवार, **11 जुलाई**, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

नाविकों का कल्याण

2999. डॉ. सुकान्त मजूमदारः

श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

श्री विनोद कुमार सोनकरः

श्री खगेन मुर्मुः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विदेशी जहाजों में विशेषकर समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण और घातक दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थिति में विदेशों में, भारतीय चालक दल के सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा भारतीय समुद्री अधिनियम का कार्यान्वयन ऐसे मामलों में अपर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सेवानिवृत्त नाविक मासिक अनुग्रह भत्ते को बंद करने पर भूख हड़ताल पर गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय नाविकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए 'सी फेयरर वेलफेयर फंड सोसाइटी' का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य कार्यकरण और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा कौन सी कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं तथा इसके अंतर्गत अब तक कितनी निधि जारी की गई है; और

(च) सरकार द्वारा नाविकों के कल्याण और देश में उनकी शिकायतों के निवारण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) जी, हां। पोत परिवहन मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के परामर्श से इसके लिए आकस्मिकता योजना बनाई है और भारतीय जलयानों, विदेशी जलयानों के साथ-साथ भारतीय पालदार जलयानों (धाऊ) पर सवार भारतीय क्रू सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) दस्तावेज़ तैयार किए हैं। इसके अलावा, समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैकिंग एवं घातक दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

i) भारतीय पोतों पर समुद्री डकैती-निरोधी उपायों संबंधी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में समुद्री डकैती-निरोधी उपायों के लिए विस्तृत प्रावधान हैं।

ii) केवल गिनी की खाडी में व्यापार करने वाले जलयानों पर भारतीय नाविकों की तैनाती में प्रतिबंध लगाने के लिए एक मैरीटाइम सुरक्षा एडवाइज़री कार्यान्वित की गई है।

iii) वर्ष 2008 से एडन की खाड़ी में भारतीय नौसेना पोतों द्वारा नौसेना एस्कॉर्ट प्रदान किया जाता है। नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार भारतीय नौसेना और भारतीय तथा विदेशी ध्वज वाणिज्यिक पोतों के साथ इसके समन्वय का कार्य करता है।

iv) समुद्री डकैती और सशत्र डकैती की घटनाओं से निपटने के लिए भारतीय वाणिज्यिक पोतों, शिपिंग कंपनियों और अन्य हित-धारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करते हुए समय-समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं।

v) समुद्री डकैती और समुद्र में होने वाली सशत्र डकैती के बारे में नाविकों को संवेदनशील बनाने के लिए नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार ने समुद्री डकैती जगरूकता मॉड्यूल/प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन किया है।

vi) विदेशी जलयानों में सवार भारतीय क्रू सदस्यों के साथ होने वाली घातक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए नौवहन महानिदेशालय ने मानक प्रचानल प्रक्रिया (एसओपी) दस्तावेज़ तैयार किए हैं।

vii) किसी विदेशी ध्वज पोत पर सवार भारतीय क्रू सदस्य की घातक दुर्घटना के मामले में, आकस्मिक दुर्घटना जांच संबंधी आईएमओ आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय मैरीटाइम प्रशासन के रूप में नौवहन महानिदेशालय ध्वज प्रशासन से जांच करने का अनुरोध करता है।

(ख) लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई अधिनियम मौजूद नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ड.) 'नाविक कल्याण निधि' सोसाइटी (एसडब्ल्यूएफएस) के संस्था के ज्ञापन पत्र में निर्धारित उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i) नाविक कल्याण निधि के नाम से एक निधि का प्रावधान करना एवं इसका रखरखाव करना;

ii) भारत के पत्तनों पर नाविकों को सामान्य कल्याण सुविधाएं प्रदान करना और विदेशी पत्तनों पर तैनात नाविकों के लिए वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 101 के प्रावधानों के अनुसार सुविधाएं प्रदान करना;

iii) सोसाइटी के धन को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित रूप से किसी प्रतिभूति में निवेश करना या किसी बैंक में जमा के रूप में रखना और अन्य किसी प्रकार से लेन-देन करना।

iv) एसडब्ल्यूएफएस ने सभी भारतीय नाविकों और उनके परिवारों के लिए निम्नलिखित पांच कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की हैं:

क) उत्तरजीविता लाभ योजना

ख) अशक्तता लाभ योजना

ग) महिला नाविकों के लिए मातृत्व लाभ योजना

घ) वृद्धावस्था लाभ कल्याण योजना

ङ) परिवार लाभ कल्याण योजना

अभी तक नाविकों को प्रदान की गई निधि का (वर्ष-वार) विवरण निम्नानुसार है:

2014-15	:	59,905,416/- रु.
2015-16	:	53,195,875/- रु.
2016-17	:	69,386,431/- रु.
2017-18	:	65,688,546/- रु.

(च) आईएलओ-एमएलसी, 2006 के विनियम 4.5 के अनुपालन करने के लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों और भर्ती तथा तैनाती सेवा लाइसेंस (आरपीएसएल) कंपनियों द्वारा कल्याण निधि अंशदान अनिवार्य रूप से जमा करने संबंधी भारत सरकार की अधिसूचना 1.04.014 से लागू हुई। एसडब्ल्यूएफएस को उन कंपनियों से दिनांक 01.04.2014 से कल्याण निधि अंशदान मिलना शुरू हुआ।

सरकार ने एक शिकायत निवारण तंत्र भी प्रतिपादित किया है। नौवहन महानिदेशालय की सरकारी वेबसाइट तथा सीपीग्राम पीजी पोर्टल पर एक फीडबैक पोर्टल उपलब्ध है। नौवहन महानिदेशालय एवं इसके संबद्ध कार्यालयों के निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा इन पोर्टलों की निगरानी की जाती है।

*****